हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

06 नवम्बर, 2019

खण्ड–3, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 06 नवम्बर, 2019

पृष्ठ संख्या

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कैदियों को छुड़ाने के संबंध में मामला उठाना

वॉक–आउट

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप ए, पब्लिक वर्क्स (बिल्डिग्ज एंड रोडज़) डिपार्टमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2019

(ii) दि हरियाणा गुड्ज एण्ड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2019

गुरू नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब विधान सभा के विशेष स्मरणोत्सव सत्र में भाग लेने के संबंध में सूचना

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 06 नवम्बर, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में सुबह 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब उप–मुख्यमंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ–

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने से पहले मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का फेट जानना चाहती हूँ। मैंने अलग–अलग विषयों पर बड़े ही अहम तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बहन किरण जी, आप कल सदन में उपस्थित नहीं थी, इसलिए आपके द्वारा दिए गए तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल ही रिजैक्ट हो गए थे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दिए गए तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर तो कल कोई चर्चा का विषय नहीं था, इसलिए आज इन महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपके द्वारा दिए गए तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल ही रिजैक्ट हो गए थे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की रिजैक्शन की सूचना मेरे पास रात को पहुँची। मेरे द्वारा दिए गए तीनों ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बड़े ही अहम मुद्दों पर थे। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण 'प्रदूषण की गम्भीर समस्या का समाधान करने बारे था। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस कारण से रिजैक्ट किए गए, कृपा करके मुझे इसका कारण भी बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : बहन किरण जी, जब सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान चर्चा हुई तो उस चर्चा के दौरान आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से संबंधित विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, इसलिए मैं समझता हूँ कि अलग से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को एडमिट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पराली के कारण 'प्रदूषण की गम्भीर समस्या का समाधान करने बारे' ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तो सदन में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आज हम अखबारों में देखते हैं कि पराली को जलाने को लेकर हम किस तरह से किसानों को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन सरकार हमें कोई रोड मैप नहीं दिखाती है कि हम किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित करें तथा हम उसके लिए क्या–क्या कदम उठा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आज इन विषयों पर चर्चा नहीं करवाई जा सकती । आप कल सदन में उपस्थित नहीं थी । अगर आप कल सदन में उपस्थित होती तो आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, with all due respect, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने तीन कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए थे । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, कल सदन में आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से संबंधित विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है । अगर आप कल सदन में उपस्थित होती तो आप भी उस चर्चा में भाग ले सकती थी । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि मैंने आपको जो तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे क्या आपने उनको उनके जवाब के लिए सरकार के पास भेज दिया है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके द्वारा दिए गए तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में जवाब दे चुके हैं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी तक किसान के कर्ज माफी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई चर्चा नहीं की है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं यह नहीं कहता कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे सही नहीं हैं लेकिन इन विषयों पर कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय चर्चा कर चुके हैं और इन पर विस्तारपूर्वक जवाब दे चुके हैं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब आप स्वयं कह रहे हो मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं तो फिर आप इन पर सदन में चर्चा क्यों नहीं करवाते ? अगर आप इन पर चर्चा करवाओगे तो पूरे सदन को इसका फायदा मिलेगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मेरा आपसे कहना है कि कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन विषयों पर जवाब दे दिया था, इसलिए आज इन पर दोबारा चर्चा नहीं करवाई जा सकती । अतः अब आप प्लीज बैठ जाइये । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके कहने पर बैठ जाती हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं बहुत ही सकारात्मक विषयों पर चर्चा करवाना चाहती थी । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर आप कल सदन में उपस्थित होती और यह मुद्दा उठाती तो मैं इस पर अपनी रूलिंग भी दे सकता था ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी नैगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करती ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मुझे जनहित के मुद्दे पर चर्चा करवाने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जो 3 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए थे और इन कॉलिंग अटैंशन मोशंज को तैयार करने में बहुत मेहनत, रिसर्च, टाइम और एनर्जी लगाई थी । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जनता ने माननीय सदस्या को चुना ही इसलिए है कि आप मेहनत करके सदन में उनके मुद्दे उठाएं और उनके विकास के लिए काम करें ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे द्वारा दिए हुए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा नहीं करवायेंगे तो हम जनता के मुद्दों को सदन में कैसे उठाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर आप सदन में कल उपस्थित होती तो आप निश्चित रूप से उस चर्चा में भाग ले सकती थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि जनहित के जो भी इशूज हैं उन पर सदन में चर्चा करवाई जा सकती है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, जनहित के किसी भी विषय पर नियमों के अधीन चर्चा करवाई जा सकती है ।

.....

जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान गिर फ्तार किए गए कैदियों को छुड़ाने के संबंध में मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने सदन में कल एक बहुत ही अहम सवाल उठाया था जिसमें इन्होंने पूछा था कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान पकड़े गए हरियाणा के जिन युवाओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया और उन पर केस किये गये क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय फ्राखदिली दिखाते हुए उन युवाओं को जेलों से बाहर निकालेंगे और उन पर चल रहे केसिज को खत्म करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपने इस विषय का हमें कोई नोटिस नहीं दिया है, इसलिए इस पर फिलहाल सदन में चर्चा नहीं करवाई जा सकती । अगर आपने इस बारे पूर्व में कोई नोटिस दिया होता तो सरकार इसका अवश्य संज्ञान लेती ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को सरकार की तरफ से अनेक बार यह आश्वासन दिया गया कि समझौता किया जाएगा । उस समझौते के लागू न होने की वजह से हरियाणा के हालात और खराब हुए हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा कही जाने वाली किसी भी बात को अब रिकॉर्ड न किया जाए ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर आप मुझे नियमों के अधीन कोई नोटिस देते हैं तो मैं उस पर चर्चा भी करवाऊँगा और सरकार द्वारा उसका जवाब भी दिया जाएगा लेकिन आप ऐसे ही बगैर किसी नोटिस के बीच में ही उठकर बोलने लग जाओगे तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर सदन में किसी भी इशू पर कोई चर्चा करनी है तो उसका एक प्रोसैस है । सदन में किसी भी विषय को उठाने का एक तरीका होता है ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार के हक की बात को ही माना जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, सदन में नियमों के अनुसार ही कोई बात रखी जाती है। आप जबरदस्ती किसी बात की हां नहीं करवा सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर बात रखना चाहता हूं क्या वह कोई इशू नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, अगर आपका कोई इशू है तो आपको उसके लिए पहले लिखित में नोटिस देना चाहिए था, परन्तु आपने इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

———————————————————————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, Hon'ble Member needs your protection.

Mr. Speaker: I will protect him.(Interruptions)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपकी रूलिंग चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) We need your protection.

Mr. Speaker: I will protect the rights of every Hon'ble Members but I will not allow any Member to raise any issue at any time. (Interruptions) It should be in a proper manner. चौटाला साहब, अगर आपका कोई कॉलिंग अटैंशन मोशन था तो उसके बारे में आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। इसके बाद नियमों के मुताबिक ही उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इशू उठाया था, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई में कोई बात नहीं आयी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप जो बात कह रहे हैं, वह आज का विषय नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब दे देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निर्दोष लड़कों को जेल में बन्द कर दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कल मैंने अपनी रिप्लाई में हरेक बात का विस्तार से उत्तर दिया था। मैं

सभी विषयों पर जवाब दे रहा था, परन्तु उस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि अब बहुत बातें हो चुकी हैं इसलिए प्लीज, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें। मैंने और बातें रखने के लिए सभी माननीय सदस्यों से भी पूछा था। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि अब सभी बातें हो चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी रिप्लाई के समय जितने समय तक बोलते हैं, आप उतनी ही देर तक सदन का समय एक्सटेंड करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मुझे सदन की भावना के अनुसार ही अपना उत्तर छोटा करना पड़ा। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य अभय सिंह जी, आज जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर अब भी दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी ने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब अब दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वे गवर्नर महोदय के एड्रैस के पेज नम्बर 11 को देख लें। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस प्रदेश का भाईचारा, इस प्रदेश का सद्भाव और इस प्रदेश में आपसी घटनाओं से जो दूरियां उत्पन्न हुई हैं। सरकार उनको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी और कर भी रही है। सरकार ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक, का विषय इसीलिए छेड़ा कि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल पिछले दिनों बनाने का प्रयत्न किया गया था, वह नहीं होना चाहिए।

हम सब हरियाणवी एक हैं, इस नाते से सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य जिस विषय का आज उल्लेख कर रहे हैं, वह विषय आज भी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है यानि सब जूडिश है। कुछ मामले सी.बी.आई. के पास या माननीय हाई कोर्ट में चल रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने संबंधित केसिज के लिए एक एस.आई.टी. बनायी है और उसकी देख– रेख में सभी चीजें हो रही हैं। सरकार ने बहुत से केसिज को वापिस लेने के लिए डाटा बनाया हुआ है, वह आपको बताया जा सकता है। हमने उसको आगे परस्यू भी किया है। चूंकि संबंधित मामला सब जूडिश होने के कारण विधान सभा में डिटेल में उस पर चर्चा करना संभव नहीं है इसलिए मैं इस मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश का भाईचारा, शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, जो सरकार के दायरे में आता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अब आपकी बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई भी दे दिया है, इसलिए आप हाउस को डिस्टर्ब न करें। प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि सरकार जो प्रयास कर सकती है, वह कर रही है।

डा0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह बात पहले भी सदन में आयी थी, यह छोटा इशू नहीं था क्योंकि हजारों सालों के ताने–बाने को तोड़ा गया। हरियाणा प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति को तोड़ा गया है। यह जो इशू उठा है वह गठबंधन सरकार की नीयत की तरफ भी इशारा करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, यह आपका विचार हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली सरकार के समय भी संबंधित इशू को उठाया था और कल भी उसी इशू को उठाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, सदन नियम/कानून के मुताबिक चलता है। आप जिस इशू पर बात कह रहे हैं, उसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसलिए यह इशू आज के एजेंडा में नहीं है। प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आज के एजेंडा में संबंधित इशू नहीं है और इससे आगे सैशन 4 महीने के बाद आएगा तो फिर यह बात कैसे कही जा सकती है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप जिस इशू पर आज अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बारे में आपने नोटिस क्यों नहीं दिया ? संबंधित इशू के बारे में आपने कोई नोटिस नहीं दिया। संबंधित इशू पुराना चल रहा है तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी ? आप तो सीनियर सदस्य हैं। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी आपने इस बारे में कोई नोटिस दिया होता तो मैं उसका रिप्लाई देता, परन्तु आपने कोई नोटिस नहीं दिया, इसलिए प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस की बात नहीं कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। सदन की कार्यवाही चलने दें।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनकी बात को ही वर्बल नोटिस मान लीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, इस प्रकार से वर्बल कोई नोटिस नहीं होता।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, वर्बल नोटिस का भी प्रॉविजन होता है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, उसका भी टाईम होता है। ऐसा कोई प्रॉविजन नहीं है। ये बातें जीरो ऑवर में की जाती हैं। आज क्वैश्चन ऑवर भी नहीं है और क्वैश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर होता है। आज क्वैश्चन ऑवर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, क्या आज जीरो ऑवर नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, ये सारी बातें जीरो ऑवर के दौरान की जाती हैं जबकि आज सदन में जीरो ऑवर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने तो जीरो ऑवर भी खत्म कर दिया और इस तरह से आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि आज सदन में क्वैश्चन ऑवर नहीं रखा गया है इसलिए आज सदन में जीरो ऑवर भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) चौटाला साहब, प्लीज आप बैठ जाईये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो आपने सारे नियम खत्म कर दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा विधान सभा के नियमों के हिसाब से ही सभी सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठ जाईये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन में सभी सदस्यों को बोलने का पूरा हक होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप अपनी मर्जी से सदन की कार्यवाही को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब आप प्लीज बैठ जाईये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या सदन में इस विषय से संबंधित चर्चा नहीं चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, हम मानते हैं कि सदन में चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए लेकिन हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही नियमों के हिसाब से ही होगी। चौटाला साहब, प्लीज आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में इसका जवाब दे दिया है। प्लीज आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, अब आप प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, अब लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा इसलिए आप प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल से रिहा न करने के विषय बारे जवाब दिया है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं इसके विरोध स्वरूप सदन से वॉक–आउट करता हूं।

वॉक–आउट

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नै□नल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल से रिहा न करने के विशय बारे मुख्यमंत्री द्वारा दी गई रिप्लाई से संतुश्ट न होकर विरोध स्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गये।)

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप ए, पब्लिक वर्क्स (बिल्डिंग्ज एंड रोडज़) डिपार्टमैंट (अमैंडमैंट) बिल 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

> कि हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Shri B.B. Batra: Speaker Sir, while presenting any Bill by the Hon'ble Chief Minister or any Minister in the House, he should tell the gist of the Bill. Whether it is being referred by some judgement of the court or is there any other reason? आपने इस बिल को तो सदन में चर्चा के लिए रख दिया है परन्तु हमने अभी तक इस बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। इस सदन में उपस्थित कुछ नये माननीय सदस्यों को इस बात का पता नहीं है कि इस बिल में क्या है और क्या नहीं है? अध्यक्ष महोदय, इस बिल का प्रिएम्बल एक पेज का है। कम से कम जो भी कंसर्ड मंत्री है, उनको इस बिल के बारे में हाउस में बताना चाहिए कि इस बिल से संबंधित एक ऐसी जजमैंट माननीय हाई कोर्ट से आई है और in view of this judgement, we are doing some amendments. अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इस बिल को सिर्फ एक मिनट के लिए ही पढ़ा है। आप एक तरफ तो ये कहते हो कि बिलों पर डिस्कशन होनी चाहिए और दूसरी तरफ इन बिलों को पढ़ने के लिए समय नहीं देते हो। अध्यक्ष महोदय, इन बिलों पर डिस्कशन तो तभी की जा सकती है जब मैम्बर्ज को एक दिन पहले इन बिलों को पढ़ने के लिए दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, पहले जो कंसर्ड मिनिस्टर है वे इस बिल का प्रिएम्बल बतायें। चाहे तो आप उसके बाद इस बिल को पास करवा लीजिए that will be fine.

श्री अध्यक्ष : बत्तरा साहब, जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये बिल सभी मैम्बर्ज के पास रात के समय में पहुंचा दिए गये थे और मेरे ख्याल से सभी मैम्बर्ज ने इन बिलों को पढ़ भी लिया होगा और पढ़ने के बाद ही हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। बत्तरा जी, अगर आप इस बिल से संबंधित कुछ भी कहना चाहते हो तो आप

कह सकते हो। (शोर एवं व्यवधान) बत्तरा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अभी यह बिल पास नहीं हुआ है इसलिए आप इस बिल पर चर्चा कर सकते हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बनीं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बनी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
(विधेयक पारित हुआ।)

---

(2) दि हरियाणा गुड्ज एण्ड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज (2) **ऑफ** क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बनी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज–2 से 22

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 22 विधेयक का पार्ट बनी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बनी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

————————

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

गुरू नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब विधान सभा के विशेष स्मरणोत्सव सत्र में भाग लेने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, पंजाब विधान सभा में गुरू नानकदेव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय उप–राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह पधार रहे हैं इसलिए सदन के स्थगन के तुरन्त पश्चात् सभी सदस्य इकट्ठे होकर रैम्प से होकर पंजाब विधान सभा में पहुंचेंगे।

माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है ।

*10:26 बजे

(तत्प□चात सदन अनि□चतकाल के लिए *स्थगित हुआ।)